

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विकास रक्षण गंगोलीघाट में
अगोन बैंड से आवलाघाट स्टोर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम अगोन
तहसील-गंगोलीघाटजिला-

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत अगोन बैंड से परियोजना के निर्माण हेतु (०.७३ हेक्टर वन भूमि, ०.५० हेक्टर सिविल सोयम भूमि) ०.५० हेक्टर वन पंचायत भूमि (०.५ हेक्टर वन भूमि का अर्थात कुल ०.१० हेक्टर वन भूमि का लोक निवासी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत अगोन द्वारा दिनांक १८/६/१७ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अगोन के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि (०.१० हेक्टर) प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हो/-
ग्राम सचिव

हो/-
ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 18/6/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ऊर्जा न

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	दीश वदारु	
	जाया देव वाई नारा	
	राधीला देव =	
	अमाजनी चूपुकुला	
	शंख दाम नाह मेहर	
	बाल राम टाम	
	लवीमु टाम	
	गोपाल टाम	
	लक्ष्मी टाम	
	कुषल्लाम	
	चन्द्रगोविल	
	गणेश टाम	
	कल्पाम	
	चंद्रहरा पन्त	
	सिरीश पन्त	
	विनीता पन्त वीडी ला.	

हो संस्कृत एवं
ग्राम प्रधान नाम
फिल्ख०-गोपालहर (प्रदीप राम)

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड गंगोलीहार
में अगोन बैंड से ओवलाधाट मैटर मार्ग 77

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पाली
तहसील गंगोलीहार जिला पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत अगोन बैंड से 1 परियोजना
के निर्माण हेतु (०.५० हेठा आरक्षित वन भूमि, ०.५५ हेठा सिविल सोयम भूमि: ३४९ हेठा,
वन पंचायत भूमि X हेठा) अर्थात् कुल ३३.१ हेठा वन भूमि का
प्रोक्ट नियाय विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पाली द्वारा दिनांक 22.6.17. को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम पाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पं० वि० ३०
ह० कृषि
ग्राम संक्षिप्त-गंगोलीहार
जिला-पिथौरागढ़

जूलाई २०१८
प्रधान
ह०/.....
ग्राम प्रधान
प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक २२/१/१७ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतपाली.....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	ललिता देवी	ललिता देवी
	नवीन राज	नवीन राज
	खड़ेश छोटी - अमृदाला	खड़ेश छोटी -
	माला देवी	माला देवी
	कमला देवी	कमला देवी
	सत्या देवी	सत्या देवी
	इरुली देवी	इरुली देवी
	राधाराम नाथ श्री	राधाराम नाथ श्री
	लालकुमारी देवी	लालकुमारी देवी
	महेश गांडा, जाहान	महेश गांडा, जाहान
	महेश	महेश
	जीता देवी	जीता देवी
	गोपालराम	गोपालराम

ललिता देवी
नवीन
खड़ेश छोटी
ह०/-
ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में अगोन बैंड से अंवलाघाट स्टोर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पोरबरी
तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत अगोन बैंड से 1 परियोजना के निर्माण हेतु (1.00 हेतु आरक्षित वन भूमि, 0.35 हेतु सिविल सोयम भूमि.00 हेतु, वन पंचायत भूमि X हेतु) अर्थात कुल 1.35 हेतु वन भूमि का

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पोरबरी द्वारा दिनांक 22.6.12 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पोरबरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.00 निर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हो/प्रपत्र-23
ग्राम सभापत्र
विभाग-तहसील दाता
जिला-पिथौरागढ़।

हो/—
ग्राम प्रधान
तहसील-गंगोलीहाट।

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



प्रपत्र-23.1

दिनांक 22/6/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत पोखरी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	देवेन्द्र यादव प्रधानमंत्री
	शुभेन्दु राठोड़
	देवेन्द्र प्रधान लोकालय के डॉक्टर पापड़ उपराजनीक नाना राठोड़
	देवेन्द्र यादव लोकालय प्रधान

Dhrendra Kumar Joshi
 → C. S. C. M.
 Pokhar Aharang
 Block -
 हो/-
 ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विकास रवण्ड गंगोलीघाट में
अग्रीन बैंड से आंवलाघाट स्टेटर स्टार्ट

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जात्युदी
तहसील गंगोलीघाट जिला पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत अग्रीन बैंड से परियोजना
के निर्माण हेतु (1.5 हेक्टेएक्टर) आरक्षित वन भूमि, 230 हेक्टेएक्टर सिविल सौयम भूमि 0.0 हेक्टर,
वन पंचायत भूमि X हेक्टर) अर्थात् कुल 1.5 हेक्टर वन भूमि का
ज्ञानकोश विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जात्युदी द्वारा दिनांक को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम जात्युदी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
लोकोन्विविभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हो/..... तिथि 30
ग्राम सचिव
विविविभाग
तिथि 30, पिथौरागढ़

हो/.....
ग्राम प्रधान
विविविभाग
पिथौरागढ़, पिथौरागढ़

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 21/6/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जल्पुडी

60/-
ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के त्रिकाल स्वर्ण गंगोलीहाट में
अग्रोन बैंड से अंवलाघाट नीटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बोयल
तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत अग्रोन बैंड से परियोजना के निर्माण हेतु १.०० हेतु आरक्षित वन भूमि, ०.२५ हेतु सिविल सोयम भूमि ५०६ हेतु, वन पंचायत भूमि —×— हेतु) अर्थात् कुल १.७५६ हेतु वन भूमि का लोक निपासन विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बोयल द्वारा दिनांक २०.६.१७. को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बोयल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रोत्तिविश्वासी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
ह०/-

ग्राम पंचायत शेषल
पिथौरागढ़ गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक २०/६/१७ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खोयल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	भगवान् Ric	भगवान्
	दिवा डिल	दिवा डिल
	मनु जेवा दुबी	मनु जेवा
	जुकन टुमि	जुकन टुमि
	Ram Singh	Ram Singh
	कुमार सहू	कुमार सहू
	माला बाई	माला बाई
	मुलाह नेहरू	मुलाह नेहरू
	मनु दिल	मनु दिल
	मुलाह नेहरू	मुलाह नेहरू
	अवानी राम	अवानी राम

हुमा देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत खोयल
विलालीहाट (प्रियंगी)

५०/-
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- जनपद पिंचोरागढ़ के विकास रक्षण गंगोलीहाट में
अगोन बैंड से आंवलाघाट स्टॉटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सुंगर नौला
तहसील गंगोलीहाट जिला पिंचोरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिंचोरागढ़ के अन्तर्गत अगोन बैंड से 1 परियोजना के निर्माण हेतु 0.917 हेतु आरक्षित वन भूमि, 2.395 हेतु सिविल सोयम भूमि 0.00 हेतु, वन पंचायत भूमि — × — हेतु) अर्थात कुल 1.312 हेतु वन भूमि का कृषि नियम विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुंगर नौला द्वारा दिनांक 19.6.17. को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सुंगर नौला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रौद्योगिकी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
हो/—
अ.

ग्राम पंचायत शोधकल
पिंचोरागढ़ गंगोलीहाट (पिंचोरागढ़)
ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।


प्रपत्र-23.1

दिनांक १९।६।१७ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत वृक्षगारनीला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	पंकज कुमार	Pankaj Kumar

ଶୁଭମାତ୍ରି



ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :— जनपद पिंडीरागढ़ में विकासरवण गंगोलीहाट के अन्तर्गत ऊर्जान छेष से ऑर्वलाधाट मोटर मार्ग किलोमीटर ०.०० से लिंगी ०.७८

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गंगोलीहाट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रभाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गंगोलीहाट

उपखण्ड गंगोलीहाट परिसेत्र के अन्तर्गत जू.नैन्हैंड से ऊर्वलाधाट मोटर मार्ग में (प.कु.है० आरक्षित वन भूमि, २.२५ है० सिविल एवं सौयम वन भूमि .५९५ है० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ३.०५ है० वन भूमि) का लो.नि.वि. वेरीनाग. प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गंगोलीहाट) की दिनांक २५/६/१७ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मंत्री, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|---|-----------------------|------------|
| १— | श्री <u>दंडव बुद्धा</u> उपजिलाधिकारी | <u>गंगोलीहाट</u> | अध्यक्ष |
| २— | श्री <u>स्मृति भट्ट</u> उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>वरीना<u>ग.</u></u> | सदस्य |
| ३— | श्री <u>विक्रम चन्द्र</u> सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>गंगोलीहाट</u> | सदस्य/सचिव |
| ४— | श्री <u>भगवती प्रसाद</u> वी०डी०सी० क्षेत्र | <u>पाली, वोयल</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

जू.नैन्हैंड से ऊर्वलाधाट मोटर मार्ग परियोजना हेतु १.५ है० वन भूमि

लो.नि.वि.वेरीनाग. प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वेरीनाग. द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधिक नियमों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सुर्वसमति से उपखण्ड गंगोलीहाट परिषेत्र के अन्तर्गत अभीनवेश में जावलालगढ़ मार्ग जावलालगढ़ मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु १०.०५.७ हेतु वन भूमिलोकिति प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - गंगोलीहाट
जनपद -

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - गंगोलीहाट
जनपद -

गंगोलीहाट
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी
गंगोलीहाट (प्रियोरिटी)

मुख्यमंत्री
(मुख्यमंत्री प्रबन्ध)
श्री/मुख्यमंत्री सुनील
गोप्ता वाम

मुख्यमंत्री
१०७५ ग्रन्थालय

तहसीलदार
गंगोलीहाट

वन कार्याधिकारी
गंगोलीहाट वन शाखा
प्रियोरिटी एवं अन्य विभाग

वन कार्याधिकारी
गंगोलीहाट

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना / अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector- Pithoragarh

No---

Dated---- 07 -09 -2017

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 8.057 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **P.W.D. Berinag** (name of user agency) for **Agron Band To Awalanhat Moter road** (purpose for diversion of forest land) in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **Pali, Pokhari ,Jatudi, Boyal, Sungarnola,Agron** village (s) in **Gangoliyat** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 8.057 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.


Signature
जिला प्रभारी

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No---

Dated---- 07 -09 -04 /7

To WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 8.057 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D

Berinag (name of user agency) for **Agron Band To Awalanhat Moter road** (purpose for diversion of forest land) in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **Pali, Pokhari ,Jatudi, Boyal, Sungarnola,Agron** village (s) in Gangolihat tehsils. It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 8.057 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.


Signature
जिलाधिकारी

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. C. Ravishankar I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated 07.09.2017 at time 10.30 AM at in which application claiming rights in area measuring 8.057 hect for the construction of **Agron Band To Awalanhat Moter road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Gangolihat sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place Pithoragarh

Dated: 07.09.2017


Deputy Commissioner-cum-Chairman


District Level Committee

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

जिलास्तरीय समिति-पिथौरागढ़

उप खण्ड बेरीनाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील बेरीनाग) की दिनांक ७/९/२०१७.....
.. को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन विवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री री० रवि गांकर जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

- 1—श्री सी० रवि शांकर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष।
- 2—श्री विनय कुमार भार्गव प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य।
- 3—श्री पी० बी० सिंह जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव।
- 4—श्री/श्रीमती विनेश एड्स्टर जिला पंचायत क्षेत्रचौकुवरी सदस्य।

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की अध्यक्षता प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि अग्रोन बैण्ड से आवलाधाट मोटर मार्ग परियोजना हेतु ८.०५७ हेतु वनभूमि को लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लखित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को रपष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत एवं उपखण्ड द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति

जिलाधिकारी
अध्यक्ष

प्रभागीय वन अधिकारी
सदस्य

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव

सदस्य जिला पंचायत
सदस्य

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़